

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:- 06/2025

तारीखरजू:- 10/6/25

2025/146

उनवान:- दुलारी बनाम तहसीलदार

भोपुर

इजराय डिकी पालना

दिनांक	फर्द अहकाम
6/10/25	डिकीदार की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने मु0न0 05/2024 मे पारित निर्णय दिनांक 23.05.2025 की पालना मे इजराय पेश की। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण निर्णय की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार को भिजवाई जावे। पत्रावली दिनांक:-14.07.2025 से पूर्व पेश हो। <p style="text-align: right;">(पूजा मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
7/11/25	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। अतानुसार दिनांक 22/8/25 को पेश हो।
8/11/25	वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... को पेश हो।
10/12/25	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। अतानुसार दिनांक 25.11.25 को पेश हो।
12/12/25	वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... को पेश हो।
	वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... को पेश हो।

2724
10/6/25

order

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

28.11.25

दिनांक

फर्द अहकाम

पत्रावली जेश हुई। वकील डिब्रीदार उपस्थित
 तटसीतदार ~~लेखनी~~ ने अपने पत्रांक 1092 दिनांक
 17.07.2025 से शरारत पातन के लिये जो
 शक्ति पत्रावली की गई। वकील डिब्रीदार ने पातन
 रिपोर्ट का अवलोकन किया। बाद अवलोकन कब
 किया है कि तटसीतदार वातदार द्वारा मुलाधिक
 निर्णय पातन की गई है। शक्ति मुलाधिक
 निर्णय पातन किये जाने से पत्रावली में कोई
 कार्यवाही उपस्थित नहीं होने से पत्रावली शेष
 की जाती है

पत्रावली के लिये ऊपर नम्बर से कम
 होकर दफ्तर है।


